

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपीलसंख्या 1788/2016/श्रीगंगानगर
2. अपीलसंख्या 1789/2016/श्रीगंगानगर

वाणिज्यिक कर अधिकारी  
वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, श्रीगंगानगर  
बनाम

.....अपीलार्थी

मैसर्स अमित कन्सट्रक्शन कम्पनी  
श्रीगंगानगर

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठश्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरना  
उप राजकीय अभिभाषक  
श्री वी.के. पारीक,  
अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 26/12/2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी विभाग द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, बीकानेर द्वारा अपील संख्या 101 व 105/आरवैट/श्रीगंगानगर/2015-16 के आदेश दिनांक 02.03.2016 के विरुद्ध पेश की गई है, जिसके द्वारा अपीलीय प्राधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी (जिसे आगे "प्रत्यर्थी" कहा जायेगा) की अपील स्वीकार करते हुए वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, श्रीगंगानगर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2006 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 26 के अन्तर्गत पारित आदेशों को अपास्त किया गया है। चूंकि इन दोनों अपीलों में समान बिन्दु निहित है, अतः इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जाता है। आदेश की प्रति दोनों अपील पत्रावलियों पर रखी जावे।

क्र.सं.	अपीलसंख्या	अपीलीय प्राधिकारी के आदेश का विवरण		कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का विवरण	
		अपीलसंख्या	दिनांक	क.नि. वर्ष	दिनांक
1.	1788/2016/श्रीगंगानगर	101/आरवैट/श्री गंगानगर/2015-16	02.03.2016	2012-13 u/s 26	10.04.2015
2.	1789/2016/श्रीगंगानगर	150/आरवैट/श्रीगंगानगर/2015-16	02.03.2016	2012-13 u/s 33	10.04.2015

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वर्ष 2012-13 में प्रत्यर्थी को नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर द्वारा Road Recarpet / Patch Repairs सम्बन्धी चार संविदा

21

contd--2

कार्य आवंटित किये गये थे, जिस हेतु प्रत्यर्थी द्वारा 1 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क हेतु आवेदन करने पर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा दिनांक 24.04.2011 को राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या F12(63)FD/Tax/2005-80 दिनांक 11.08.2006 (यथासंशोधित) के अनुसरण में 1% की दर से मुक्ति शुल्क पात्रता प्रमाण पत्र (Eligibility Certificate) जारी कर दिये गये थे। बाद में निर्धारण प्राधिकारी द्वारा संविदा कार्य की प्रकृति का अवलोकन करने पर पाया कि वर्ष 2012-13 में प्रत्यर्थी को जारी चार कर मुक्ति प्रमाण पत्रों (E.C.) दिनांक 24.04.2012, जिनमें करमुक्ति शुल्क 1 प्रतिशत निर्धारित किया गया था, उन संविदा कार्यों पर कार्य की प्रकृति के अनुसार 3 प्रतिशत करमुक्ति दायित्व पाये जाने के कारण प्रत्यर्थी को धारा 33 तथा 26 के अन्तर्गत सुनवाई का अवसर देते हुए दिनांक 10.04.2015 को आदेश पारित कर मुक्ति शुल्क पात्रता प्रमाण पत्रों को संशोधित करते हुए अन्तर राशि @ 2 प्रतिशत मुक्ति शुल्क रू. 57,044/- तथा ब्याज रू. 17,116/- का आरोपण किया गया।

3. निर्धारण प्राधिकारी के इस आदेशों से व्यथित होकर प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसे अपीलीय आदेश दिनांक 02.03.2016 द्वारा स्वीकार करते हुए निर्धारण प्राधिकारी के आदेश को अपास्त किया गया है।

4. राजस्व की ओर से पक्ष प्रस्तुत करते हुए विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय प्राधिकारी, बीकानेर का आदेश विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण है। प्रत्यर्थी द्वारा किया गया संविदा कार्य अधिसूचना संख्या F12(15)FD/Tax/12-114 दिनांक 26.03.2012 के आईटम संख्या 2 से कवर नहीं होता है, क्योंकि प्रश्नगत कार्य Re-carpet Work & Patch Work होने से ऊपर उल्लिखित अधिसूचना के बिन्दु संख्या 3 से कवर होगा तथा जिस पर करमुक्ति शुल्क 3 प्रतिशत की दर से देय होगा। उन्होंने अपीलीय आदेश अपास्त करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा किया गया संविदा कार्य सड़क के मरम्मत से सम्बन्धित है जिसमें Re-carpet Work & Patch Work किया गया है, जोकि 'Works Contract relating to Construction of Roads.....' से सम्बन्धित है, अतः इस पर देय मुक्ति शुल्क अधिसूचना दिनांक 26.03.2012 के आईटम संख्या 2 के अनुसार ही देय होगा। इस सम्बन्ध में उन्होंने राजस्थान कर बोर्ड द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.02.2012 जो कि अपील संख्या 766, 683 व 684/2010/जयपुर में पारित किया गया है, को उद्धरित करते हुए निवेदन किया कि प्रश्नगत संविदा कार्य पर 1 प्रतिशत की दर से ही मुक्ति शुल्क का दायित्व है, अतः राजस्व की अपील अस्वीकार की जाये।

contd-2

21 -

6. उभय पक्ष की बहस सुनी गई तथा उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली पर Urban Improvement Trust, Sri Ganganagar का work order क्रमांक F3( )UIT-2012-13/147, 152, 157 & 162 dated 18.04.2012 उपलब्ध हैं जिसमें Tender of the work: Road Recarpet / Patch repairs at JN Sec. No. 7, Jawahar Nagar, Sri Ganganagar' लिखा गया है तथा प्रत्यर्थी द्वारा मुक्ति शुल्क हेतु पेश किये गये आवेदन पत्र Form WT-1 में भी Nature of Works Contract: Tender of the work: Road Recarpet / Patch repairs at JN Sec. No. 7, Jawahar Nagar,, Sri Ganganagar उल्लिखित किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत संविदा कार्य सड़कों का Patch / Recarpet कार्य किये जाने से सम्बन्धित है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या F12(15)FD/Tax/2012-114 दिनांक 26.03.2012 में उल्लिखित वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की प्रकृति के अनुसार देय मुक्ति शुल्क सम्बन्धी सारणी का अवलोकन किया जाना आवश्यक है, जो निम्नानुसार पुनरुल्लिखित है:-

Item No.	Description of Work Contract	Rate of exemption fee % of the total value of the contract
1	2	3
1.	Works contract where the cost of material does not exceed five percent of the total contract amount.	0.25%
2.	Works contract relating to EPC Turnkey power projects awarded by Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited, <u>Works contract relating to Construction of roads, runway, bridges, dams, tunnels, channels, barrages, diversion, railway tracks, causeways, sub-way, spillways, boundary walls and water harvesting structures.</u>	1%
3.	Any other kind of works contract not covered by items Nos. 1 and 2	3%

7. चूंकि प्रश्नगत कार्य Road Recarpet / Patch repairs जो कि सड़कों की मरम्मत से सम्बन्धित कार्य ही है, तथा जो ऊपर वर्णित अधिसूचना की सारणी के मद संख्या 2 की प्रविष्टि 'Works Contract relating to Construction of Roads' से आच्छादित है, जिस पर करमुक्ति शुल्क की दर 1 प्रतिशत ही है। इस सम्बन्ध में राजस्थान कर बोर्ड द्वारा पारित निम्नलिखित न्यायिक निर्णय उल्लेखनीय हैं :-

1. D.B. Appeal No. 574/2012/Kota निर्णय दिनांक 09.09.2016
2. D.B. Appeal No. 1535/2011/Udaipur निर्णय दिनांक 27.07.2017
3. S.B. Appeal No. 766, 683 & 684/2010/Jaipur निर्णय दिनांक 23.02.2012



Contd -- 3

8. इन निर्णयों में Construction of Boundary Wall को work relating to buildings माना गया है, अतः इन निर्णयों का Ratio of Judgment प्रस्तुत प्रकरण में भी पूर्णरूपेण लागू होता है।

9. अतः ऊपर की गई विवेचना एवं सन्दर्भित न्यायिक निर्णयों के अनुसार प्रश्नगत कार्य सन्दर्भित अधिसूचना के आईटम नम्बर 2 से ही कवर होता है, अतः अपीलीय आदेश विधिसम्मत होने से अपीलीय प्राधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है तथा राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

10. निर्णय सुनाया गया।



(ओमकार सिंह आशिया)  
सदस्य